



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

सीबीएसई/निदेशक (एसई एंड टी)/2021

दिनांक: 03 जून 2021

परिपत्र संख्या: 38/2021

सीबीएसई से संबद्ध सभी संस्थानों के प्रमुख

विषय: स्कूली छात्रों के बीच कौशल का संवर्धन और विकास

सीबीएसई की ओर से अभिवादन!

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का उद्देश्य हमारे देश की कई बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं का व्याख्यान करना है। यह नीति 21वीं सदी की शिक्षा के आकांक्षात्मक लक्ष्यों के अनुरूप एक नई प्रणाली बनाने हेतु, इसके विनियमन और नियमन सहित शिक्षा संरचना के सभी पहलुओं में संशोधन और सुधार को प्रस्तावित करती है। नवीन शिक्षा नीति -2020 ने छात्रों की कुशलता पर जोर दिया है। एनईपी - 2020 ने सिफारिश की है कि 2025 तक, कम से कम 50% शिक्षार्थियों (स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से) को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव होना चाहिए, जिसके लिए लक्ष्य और समय-सीमा के साथ एक स्पष्ट कार्य योजना विकसित की जाएगी।

सीबीएसई स्कूली छात्रों में कौशल के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसका उद्देश्य अच्छे नैतिक विचारों और मूल्यों के साथ करुणा, सहानुभूति, साहस, लचीलापन, वैज्ञानिक स्वभाव और रचनात्मक कल्पना रखने वाले तर्कसंगत विचार और कार्यवाई में सक्षम अच्छे मनुष्यों का विकास करना है। इसका उद्देश्य हमारे संविधान द्वारा परिकल्पित एक समान, समावेशी और बहुल समाज के निर्माण के लिए संलग्न, उत्पादक और योगदान प्रदान करने वाले नागरिक बनाना है।

वर्तमान में, बोर्ड युवा पीढ़ी के कौशल और दक्षता को उन्नत करने और उपलब्ध विभिन्न कैरियर विकल्पों का पता लगाने के लिए मध्य विद्यालय स्तर पर 9 कौशल मॉड्यूल, माध्यमिक स्तर पर 18 कौशल विषय और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर 38 कौशल विषय प्रदान करता है। इन कौशल विषयों की सूची क्रमशः अनुलग्नक I, III और V में देखी जा सकती है। वर्तमान में लगभग 12,000 विद्यालयों में 20 लाख से अधिक छात्र माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर कौशल विषयों का अध्ययन कर रहे हैं।

एनईपी 2020 की सिफारिशों और छात्रों में कौशल के प्रचार और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का अनुपालन करते हुए, सीबीएसई ने सत्र 2021-2022 से निम्नलिखित पहल की है:

शिक्षा सदन', 17 राउज एवेन्यू, इंस्टिट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली -110002

'ShikshaSadan', 17, Rouse Avenue, Institutional Area, New Delhi - 110002





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

1. कौशल मॉड्यूल के रूप में 'कोडिंग' का परिचय: कोडिंग एक रचनात्मक गतिविधि है जिसमें किसी भी विषय का छात्र सम्मिलित हो सकता है। यह कम्प्यूटेशनल सोच बनाने, समस्या समाधान कौशल विकसित करने, महत्वपूर्ण सोच और वास्तविक जीवन स्थितियों के विभिन्न क्षेत्रों में आने वाली समस्याओं को हल करने में सहायता करता है। इसलिए, 'कोडिंग' को कक्षा VI-VIII में 12 घंटे की अवधि के कौशल मॉड्यूल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह विचार डिजाइन सोच, विचारों के तार्किक प्रवाह को पोषित करके कोडिंग सीखने के अनुभव को सरल बनाना है और इसे सभी विषयों में लागू करना है। प्रारंभिक वर्षों में रखी गई नींव छात्रों को एआई, डेटा विज्ञान और अन्य विषयों के क्षेत्र में दक्षताओं का निर्माण करने में मदद करेगी।

फैकल्टी और स्टूडेंट हैंडबुक को माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से बनाया गया है, ताकि छात्र एप्लाइड प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकें और कई विषयों में कोडिंग को एकीकृत कर सकें और अधिगम को मनोरंजक बना सकें। संकाय संसाधन इन अवधारणाओं को पढ़ाने में संकाय को सशक्त बनाएंगे। हैंडबुक कोडिंग पर वास्तविक जीवन के उदाहरणों को समाविष्ट करती है, कोडिंग की नैतिकता के लिए एक्सपोजर प्रदान करती है, और ओपन सोर्स मेककोड प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अभ्यास और एप्लिकेशन प्रदान करती है।

2. कौशल मॉड्यूल/कौशल विषय के रूप में 'डेटा विज्ञान' का परिचय: आज की दुनिया में, हमारे पास डेटा की अधिकता है, और डेटा विज्ञान अधिगम की मांग कभी भी अधिक नहीं रही है। छात्रों को उद्योग के लिए तैयार करने के लिए डेटा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर एक ठोस आधार प्रदान करने की आवश्यकता है।

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य डेटा साइंस की नींव रखना है, यह समझना कि डेटा कैसे एकत्र किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और समस्याओं को हल करने और निर्णय लेने में इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। यह डेटा गवर्नेंस सहित डेटा के साथ नैतिक मुद्दों को भी समाविष्ट करेगा और डेटा साइंस के एआई आधारित अनुप्रयोगों के लिए नींव तैयार करेगा। इस प्रकार, 'डेटा साइंस' को कक्षा 0000 में 12 घंटे की अवधि के कौशल मॉड्यूल के रूप में और कक्षा IX-XII में एक कौशल विषय के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है और माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से छात्र और संकाय हैंडबुक और शिक्षण सामग्री बनाई गई है।

3. आवेदन शुल्क माफ करना: स्कूलों को कौशल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, सीबीएसई द्वारा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर नए कौशल विषयों को शुरू करने के लिए आवेदन शुल्क माफ करने का निर्णय लिया गया है। अतः, ग्यारहवीं कक्षा में कौशल विषयों को शुरू करने के इच्छुक स्कूल, इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से सीबीएसई को कोई शुल्क जमा किए बिना इन कौशल विषयों का प्रयोग कर

शिक्षा सदन', 17 राउज एवेन्यू, इंस्टिट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली - 110002

'ShikshaSadan', 17, Rouse Avenue, Institutional Area, New Delhi - 110002





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)



CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

सकते हैं।

- अंक वितरण में एकरूपता: सभी कौशल विषयों के अंक वितरण में एकरूपता पैदा करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि सत्र 2021-2022 (ग्यारहवीं कक्षा के लिए) से बोर्ड द्वारा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर पेश किए जा रहे सभी कौशल विषयों का अंक वितरण, सैद्धांतिक परीक्षा के लिए 60 अंक (रोजगार कौशल के लिए 10 अंक सहित) और व्यावहारिक और परियोजना के लिए 40 अंक होंगे। हालांकि, वर्तमान कक्षा XII यानी सत्र 2021-2022 के लिए अंक वितरण में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित अंक वितरण, सत्र 2022-2023 से बारहवीं कक्षा के लिए प्रभावी होगा।
- कौशल विषय/मॉड्यूल शुरू करने के लिए आवेदन: बोर्ड के संशोधित संबद्धता नियमावली के अनुसार, किसी स्कूल को कौशल विषय (विषयों) सहित किसी भी अतिरिक्त विषय (विषयों) को शुरू करने के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। स्कूल ओएसिस (OASIS) फॉर्म में विवरण भरेगा और आवश्यक विवरण प्रदान करेगा।

तथापि, सत्र 2021-2022 से कौशल विषयों/कौशल मॉड्यूल की शुरुआत करने वाले स्कूलों के शिक्षकों की पर्याप्त सहायता, परामर्श और प्रशिक्षण के लिए, स्कूलों को नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके जानकारी / विवरण प्रदान करना चाहिए:

विवरण	लिंक और क्यूआर कोड
a) स्कूल द्वारा कक्षा VI-VIII में शुरू किए गए कौशल मॉड्यूल के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए (कक्षा VI-VIII में शुरू किए जा सकने वाले कौशल मॉड्यूल की सूची के लिए <i>अनुलग्नक-I</i> देखें)	 https://forms.gle/q6MMPneaaFRhdrZG8
b) माध्यमिक स्तर पर अर्थात् कक्षा IX-X में स्कूल द्वारा प्रदान किए जाने वाले कौशल विषयों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए (माध्यमिक स्तर पर शुरू किए जा सकने वाले कौशल विषयों की सूची के लिए <i>अनुलग्नक-III</i> देखें)	 https://forms.gle/vhKVsaFBLoKqcs8o7

शिक्षा सदन', 17 राउज एवेन्यू, इंस्टिट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली -110002

'ShikshaSadan', 17, Rouse Avenue, Institutional Area, New Delhi - 110002





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

c) वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर अर्थात् XI-XII कक्षा में विद्यालय द्वारा प्रस्तुत कौशल विषयों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए

(वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर शुरू किए जा सकने वाले कौशल विषयों की सूची के लिए *अनुलग्नक-V* देखें)



<https://forms.gle/ipY6rocWfDW59Fjb9>

पाठ्यक्रम, अध्ययन सामग्री/पाठ्यपुस्तकों, नमूना प्रश्न पत्रों और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के लिए सीबीएसई द्वारा कक्षा VI-XII से विभिन्न कौशल विषयों/मॉड्यूल की पेशकश की जा रही है, कृपया सीबीएसई शैक्षणिक वेबसाइट (<http://>) के 'कौशल शिक्षा' वेबपेज पर जाएं।

(<http://cbseacademic.nic.in/skill-education.html>).

किसी भी अन्य जानकारी/प्रतिक्रिया के लिए कृपया isse.cbse@nic.in पर संयुक्त सचिव, कौशल शिक्षा विभाग, सीबीएसई से संपर्क करें।

(डॉ. बिस्वजीत साहा)

निदेशक (कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण)

संलग्नक:

- अनुलग्नक- I: मध्य विद्यालय में कौशल मॉड्यूल की सूची (कक्षा VI - VIII)
- अनुलग्नक- II: माध्यमिक स्तर पर अध्ययन की योजना (कक्षा IX - X)
- अनुलग्नक-III: माध्यमिक स्तर पर कौशल विषयों की सूची (कक्षा IX - X)
- अनुलग्नक- IV: वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर अध्ययन की योजना (कक्षा XI - XII)
- अनुलग्नक-V: वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर कौशल विषयों की सूची (कक्षा XI - XII)

नीचे उल्लिखित सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी विद्यालयों को सूचना प्रसारित करने के अनुरोध के साथ प्रति।

- आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, 18-संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-16
- आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी -15, सेक्टर -62, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नोएडा-201309
- शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली -110 054
- लोक निर्देश निदेशक (विद्यालय), संघ राज्य क्षेत्र सचिवालय, सेक्टर 9, चंडीगढ़-160017
- शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम -737101
- स्कूल शिक्षा निदेशक, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर -791 111
- शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर - 744101
- निदेशक, केंद्रीय तिब्बतन स्कूल प्रशासन, ईएसएस ईएसएस प्लाजा, सामुदायिक केंद्र, सेक्टर 3, रोहिणी
- सैन्य शिक्षा के अतिरिक्त महानिदेशक, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली -110001
- सचिव एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय (सेना) का एकीकृत मुख्यालय, एफडीआरसी बिल्डिंग नंबर 202, शंकर विहार (ए पी एस के पास), दिल्ली कैंट -110010
- अध्यक्ष, सीबीएसई के उप सचिव को अध्यक्ष महोदय की सूचनार्थ
- सभी प्रमुखों/ प्रभारियों, उत्कृष्टता केंद्र, सीबीएसई

शिक्षा सदन', 17 राउज एवेन्यू, इंस्टिट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली -110002

'ShikshaSadan', 17, Rouse Avenue, Institutional Area, New Delhi - 110002





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

13. सीबीएसई के सभी क्षेत्रीय निदेशक / क्षेत्रीय अधिकारी इस परिपत्र को अपने-अपने क्षेत्रों के बोर्ड के संबद्ध स्कूलों के प्रमुखों को अनुपालना हेतु भेजने के अनुरोध के साथ।
14. प्रमुख (मीडिया और जन संपर्क), सीबीएसई
15. प्रभारी आईटी एकक को सीबीएसई शैक्षणिक वेबसाइट पर इस परिपत्र को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ
16. प्रभारी, हिंदी प्रकोष्ठ, सीबीएसई मुख्यालय को परिपत्र के हिंदी अनुवाद के लिए

निदेशक (कौशल शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

नोट : हिंदी परिपत्र में किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर अंग्रेजी परिपत्र को अंतिम माना जाए।

शिक्षा सदन', 17 राउज एवेन्यू, इंस्टिट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली -110002

'ShikshaSadan', 17, Rouse Avenue, Institutional Area, New Delhi – 110002

